पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840 (कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-05/2026-2856 /वि०स०, पटना, दिनांक-24.06.26 ई० ।

प्रिय

अष्टादश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 02 फरवरी, 2026 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 27 फरवरी, 2026 को स्थगित हुआ । पुनः माननीय सदन नेता द्वारा दिनांक 17 अप्रील, 2026 को किये गये अनुरोध पर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-17 के परन्तुक के तहत् माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र का उपवेशन दिनांक 24 अप्रील, 2026 को निर्धारित किया गया । दिनांक 24 अप्रील, 2026 को निर्धारित कार्य के सम्पादन के पश्चात सभा की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । द्वितीय सत्र में कार्यक्रमानुसार कुल बीस बैठकें संपन्न हुई ।

<u>अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन</u>

माननीय सदस्यगण, अष्टादश बिहार विधान सभा के इस बजट सत्र में आप सबों का स्वागत है । वर्तमान सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित है । इसमें सभी विभागों का बजट सदन द्वारा पारित किया जाना है । इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने के कारण इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी होगा ।

बजट सत्र केवल एक औपचारिक संसदीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जनता की आशाओं, राज्य की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा तय करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है । यह वह समय होता है जब हम अपने विचारों, नीतियों और संकल्पों को जनहित की ठोस योजनाओं में रूपांतरित करते हैं । बिहार की जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है, वह केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है । यह भरोसा सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है । इस सत्र में होने वाली चर्चा राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को नई दिशा देने वाली है । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि इस सत्र को हम सकारात्मक, रचनात्मक और परिणामोन्मुखी बनाएँ । यह सदन संवाद, मर्यादा और पारस्परिक सम्मान का मंच बना रहे, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि सदन की गरिमा केवल नियमों से नहीं, बल्कि हमारे आचरण, भाषा और दृष्टिकोण से भी तय होती है । यह सब लोकतांत्रिक मर्यादा की सीमा में रहकर होनी चाहिए । हम सबको मिलकर बेहतर बिहार बनाना है । मैं आशा करता हूँ कि यह सत्र सौहार्द, अनुशासन और रचनात्मक ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न होगा । आप सभी के सहयोग से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से आगे बढ़ेगा । इसी विश्वास के साथ मैं इस बजट सत्र के सफल संचालन की कामना करता हूँ ।

माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानि 11.30 बजे विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की एक साथ समवेत बैठक में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा । माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊँगा । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर जायेंगे । इस बीच आप सभी माननीय सदस्य तुरंत चलकर सेंट्रल हॉल में अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस सभा वेश्म में आज के निर्धारित शेष कार्य होगें ।

माननीय सदस्यगण, अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना-अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2026 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के माननीय राज्यपाल, श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को बिहार विधान मंडल के सेन्ट्रल हॉल में दिनांक 02 फरवरी, 2026 को सम्बोधित किया गया । श्री संजय सरावगी, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 03 एवं 05 फरवरी, 2026 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव पारित किया गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 02 फरवरी, 2026 को माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

- ❖ कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक- 17 नवम्बर, 2025 को अनुमति प्रदान की गई परन्तु मूल अधिनियम (कारखाना अधिनियम, 1948) का दिनांक 21 नवम्बर, 2025 को निरस्त हो जाने के कारण प्राप्त विधिक मन्तव्य के आलोक में कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 अधिनियमित नहीं हुआ ।

माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

- ❖ बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025 पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- 11 दिसम्बर, 2025 को अनुमति प्रदान की गई ।

शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण

निर्वाचन क्षेत्र संख्या-178, मोकामा से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण किया गया ।

वित्तीय कार्य

दिनांक 03 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 06 एवं 09 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2026-2027 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 08 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग पारित हुआ एवं शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ । तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026 दिनांक 23 फरवरी, 2026 को पारित हुआ ।

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 11 फरवरी, 2026 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित समाज कल्याण विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात् सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2026 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा ''बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025'' एवं ''बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली 2025'' की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
3. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य जल विद्युत निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
4. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना सं०-एस०ओ०-145, दिनांक-16.07.2025 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
5. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना सं० एस०ओ-146, दिनांक-16.07.2025; एस०ओ०-149, दिनांक-27.08.2025; एस०ओ०-150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 एवं 162, दिनांक-17.09.2025 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
6. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
7. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2025; बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024; बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली, 2025 एवं बिहार प्रशासनिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2025 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
8. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के वार्षिक प्रतिवदेनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025 की हिन्दी एवं अंग्रजी की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
10. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा-23(2) एवं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010 के नियम-21(3) के तहत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
11. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वार्षिक प्रतिवदेनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
12. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक के वार्षिक प्रतिवदेनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
13. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
14. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-84 के तहत् बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली, 2025 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

15. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के तहत् बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमनों के संकलन की भाग-1 एवं 2 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
16. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा-6(4) के तहत् बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
17. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-91(2) के तहत् बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 एवं बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियमावली, 2025 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
18. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-76(3) के तहत् बिहार ई-स्टाम्प शुल्क (एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली, 2020 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
19. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
20. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक'', ''अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल'', मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल'', 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2) तथा ''विनियोग लेखे'' एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल'' प्रतिवेदनों को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गयी ।
21. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक'', ''अनुपालन लेखापरीक्षा- सिविल'', मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल'', 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2) तथा ''विनियोग लेखे'' एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-35 के तहत् बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद का वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2026
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026
3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
5. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026

6. बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026
7. बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026
8. बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026
9. बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026
10. बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026
11. बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026
12. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026

याचिका

इस सत्र में कुल 569 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 532 स्वीकृत हुए तथा 37 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 779 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 765 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 14 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 4190 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 3783 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 132 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें से 125 के उत्तर प्राप्त हुये, 2825 तारांकित प्रश्न थे जिनमें से 2656 के उत्तर प्राप्त हुये एवं 826 अतारांकित प्रश्न थे ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 388 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 36 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 334 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 18 सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में दिनांक-25/02/2026 के लिए कुल 141 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए तथा 141 सूचनाएँ स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 59 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 03 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 79 सूचनाएँ सदन द्वारा समिति को सुपुर्द किया गया ।

दिनांक-27/02/2026 के लिए कुल 141 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए, जिनमें से 141 सूचनाएँ स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 60 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 03 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये । 03 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये तथा 75 सूचनाएँ सदन द्वारा समिति को सुपुर्द किया गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय अशोक कुमार चौधरी, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय राजनीति प्रसाद, पूर्व सदस्य, राज्य सभा
3. स्वर्गीय वीणा वादिनी पाण्डेय, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय पूर्णमासी राम, पूर्व स०वि०स०

उपवेशन

माननीय सदन नेता द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने एवं अन्य कार्य के सम्पादन हेतु किये गये अनुरोध पर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-17 के परन्तुक के तहत् माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र का उपवेशन दिनांक 24 अप्रील, 2026 को निर्धारित किया गया ।

विश्वास का प्रस्ताव

दिनांक 24 अप्रील, 2026 को सरकार द्वारा विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसपर वाद-विवाद एवं मतदान के उपरांत विश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ कि ''यह सभा वर्त्तमान राज्य मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करती है ।''

शोक प्रकाश

इस उपवेशन में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय सतीश कुमार, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय सैयद गुलाम हुसैन, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय सियाराम यादव, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय राधिका देवी, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय मंसूर आलम, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 24 अप्रील, 2026 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत माननीय राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

सेवा में,

आपका विश्वासी

23/6/26

(पूनम सिन्हा)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अंजलि
19.6.26